

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-09/न०वि०मा०प्ला० (राष्ट्रीय मार्ग)-01/2025 ⁴⁵⁶¹....., पटना दिनांक- ^{25/4/25}

पटना महायोजना-2031 के क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प, फिलिंग स्टेशन आदि की स्वीकृति हेतु स्पष्टता लाने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-4512, दिनांक-29.08.2023 की कंडिका-1 के अन्त में एतद् द्वारा निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है :-

"परन्तु यह भी कि पटना महायोजना-2031 के क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रों में बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधन, 2022) के अन्तर्गत उपविधि-34, सारणी-7 में वर्णित प्रावधान के आलोक में 12.20 मीटर अथवा 40 फीट चौड़ी सड़क के सामने अवस्थित भू-खण्ड पर पेट्रोल पम्प, फिलिंग स्टेशन आदि के स्वीकृति की अनुमति पूर्ववत् प्रभावी होगी।"

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-4512, दिनांक-29.08.2023 की शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


25/4/2025

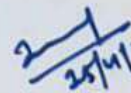
(राजीव कुमार श्रीवास्तव)

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09/न०वि०मा०प्ला० (राष्ट्रीय मार्ग)-01/2025 ⁴⁵⁶¹...../पटना दिनांक- ^{25/4/25}

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।


25/4/2025

अपर सचिव